प्रकरण संख्या 3/2018 धर्मा बनाम मनु व अन्य

<table>
<tr><th>तारीख
हुक्म</th><th>हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>05.07.2022</td><td>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चोरवड़ में हाल खाता संख्या 67 के आराजी नंबर 279, 281 346, 655/266, 656/332 कुल किता 5 रकबा 9.66 एकड़ एवं हाल खाता संख्या 68 की आराजी नंबर 545/266 रकबा 1.02 एकड़ भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 08.07.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जो एकपक्षीय डिक्री होने के कारण प्रतिवादी धर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.07.2016 को यह आदेश पारित किया कि ''न्याय आपके द्वारा 2016 कैम्प महुड़ा पत्रावली आज सरे मजमे पेश हुई। श्री धर्मा ने उपस्थित होकर कहा कि गली उसकी बहन है उसका नाम भी दर्ज होना चाहिए। अन्यथा मैं 1/4 हिस्से के बंटवारे से सहमत नहीं हूँ। गली आज उपस्थित नहीं। जब भी नाम जुड़वाना चाहे धारा 88, 136 में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई लिखित उजरदारी पेश नहीं। एक माह में वाद प्रस्तुत न हो तो अग्रिम पी.डी. जारी हो।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.07.2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.02.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री मुकेश रावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को दावा डिक्री किये जाने की जानकारी नहीं दी गयी। वादी द्वारा झगड़ा फसाद करने पर वकील से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र व[illegible] क[illegible]ों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में [illegible] की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि राजस्व लोक अदालत के नोटिस अपीलान्ट को आहुत नहीं किया गया एवं सीधे ही मामले का निस्तारण कर दिया। प्रार्थी का आज भी मौके पर कब्जा है, लेकिन मौके की स्थिति की जानकारी लिये बिना एवं जवाबदावा पेश करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.03.2016 अनुसार पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.05.2016 को नियत की गयी, किन्तु इस दिनांक की कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गयी है एवं पत्रावली सीधे ही दिनांक 11.07.2016 को कैम्प महुड़ा में रखकर अधिनस्थ न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि ''न्याय आपके द्वारा 2016 कैम्प महुड़ा पत्रावली आज सरे मजमे पेश हुई। श्री धर्मा ने उपस्थित होकर कहा कि गली उसकी बहन है उसका नाम भी दर्ज होना चाहिए। अन्यथा मैं 1/4 हिस्से के बंटवारे से सहमत नहीं हूँ। गली आज उपस्थित नहीं। जब भी नाम जुड़वाना चाहे धारा 88, 136 में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई लिखित उजरदारी पेश नहीं। एक माह में वाद प्रस्तुत न हो तो अग्रिम पी.डी. जारी हो।'' अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना एक माह का समय दिये 15 दिवस में ही दिनांक 25.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी कर दी। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं नियत पेशी दिनांक के विपरीत अन्य दिनांक में पत्रावली रखकर निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.07.2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों से सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:58 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]ता मीना)
[illegible] अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर